अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2020 (RCMS 2020/00051) अंग्रेज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 19, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान चक 8 एल एलजी लालगढ जाटान पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.10.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अंग्रेज सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अरोपित करने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. यह कि प्रार्थी के वार्ड नं. 19 में गली का नक्शा की प्रमाणित प्रति देने का श्रम करें तथा लिखित में सूचना देवें की वार्ड नं. 19 की सभी गलियां कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होती है।
2. यह कि इन गलियों पर किन–किन लोगों के घर कितना–कितना अतिक्रमण कर रखा है और कहां–कहां कब्जा मुक्त है।
3. यह कि इन गलियों पर किन–किन लोगों ने कितना–कितना अतिक्रमण कर रखा है और कहां–कहां कब्जा मुक्त है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. यह कि वार्ड नं. 19 में मौजूदा समय में कितनी गलियों की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है तथा इन सभी अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध आज तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है।
5. यह कि गांव में वार्ड नं. 19 की सभ गलियों के कार्नर पर किन–किन का मकान स्थापित है और ये सभी मकान विधि सम्मत् है या अतिक्रमण करके बनाये गये है।
6. यह कि इसी प्रकार वार्ड नं. 20 के संबंध में भी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान ने अपील का जवाब दिनांक 03.03.2020 निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री अंग्रेज सिह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे सम्बन्धित सूचना के लिए पत्र अन्तरण कर दिया गया, जिसकी सूचना प्रार्थी को डाक द्वारा दी गई है, जिसकी प्रति साथ संलग्न है एवं ग्राम पंचायत लालगढ जाटान से सम्बन्धित सूचना जो अंग्रेज सिंह के द्वारा चाही गई थी वो सूचना ग्राम पंचायत लालगढ जाटान के द्वारा जरिये डाक से उनको भेज दी गयी है। भेजी गयी सूचना संलग्न प्रस्तुत है। प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि **अपीलार्थी** द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान पंचायत समिति सादुलशहर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचाय्त **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ4(367)सू.अ./पंरावि/2020/505 जयपुर, दिनांक 10.07.2020 के आदेश के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी यदि उक्त सूचनाओं से असंतुष्ट है तो वह **सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति** के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, पंचायत समिति सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर